संख्या–887/ III–2/08–42(प्रा0आ0)/07 टी.सी.–3

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में नये कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग.क्षे. लो0नि0वि0 पौड़ी ने अपने पत्र सं0–1374/7(2423) यात्रा–पर्व/07 दिनांक 18.3.08, सं0–1375/7 (424) यात्रा–पर्व/07 दि0 18.3.2008, सं0–1094/9 यात्रा–पर्व, दिनांक 13.3.2008 एवं संख्या– 1099/9 यात्रा–पर्व/08 दिनांक 15.3.2008 के द्वारा शासनादेश संख्या–171/III(2)/08–42(प्रा.आ.) 07 दिनांक 17.01.08 में क्रमांक 3, 6, 152, 154, 155, 159, 163 पर कुल 07 स्वीकृत कार्यों के आगणन स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये हैं। मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये 07 कार्यों के आगणन लागत रूपये 945.81 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त रूपये 911.39 लाख (रूपये नौ करोड़ ग्यारह लाख उन्नतालीस हजार मात्र) की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गई है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तावित 07 आगणनों पर संलग्न सूची के कालम सं0–6 में उनके सम्मुख अंकित टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा आंकलित रू0911.39 लाख (रूपये नौ करोड़ ग्यारह लाख उन्नतालीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

13. शासनादेश की शेष सभी शर्ते शासनादेश संख्या–171/III(2)/08–42(प्रा.आ.) 07 दिनांक 17.01.08 के अनुसार यथावत रहेंगी।

14. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.– 386/XXVII(2)/2008 दि0 25 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–07 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 887 (1)/III–2/08,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी रूद्रप्रयाग ।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 887 / III(2) / 08–42(प्रा0आ0) / 07 टी0सी0 III, दिनांक 31 मार्च, 2008 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. स.	शासनादेश सं0 171 / III–2 / 08–42 (प्रा.आ.)07 दि0 17.1.08 में कार्य का उल्लिखित क्रमांक	कार्य का नाम (शासनादेश दिनांक 17.01.08 के अनुसार)	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	3	जनपद रुद्रप्रयाग में बरंगाली–पाव जगपुड़ा–मकू मोटर मार्ग	3.00	110.25	110.25
2	6	जनपद रुद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी पर धोलतीर–कोठगी मोटर पुल तथा मार्ग निर्माण	80 मी0 पुल + 3.8 किमी0 मोटर मार्ग	310.00	284.00
3	152	जनपद रुद्रप्रयाग में पाजणा– चोपड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	73.50	73.50
4	154	जनपद रुद्रप्रयाग में मन्दाकिनी नदी (अगस्तमुनी) में खेल मैदान के पास झूला पुल का निर्माण	120मी0	254.66	254.64
5	155	जनपद रुद्रप्रयाग में खेड़खाल–छातीखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण	2.00	50.40	42.00
6	159	जनपद रुद्रप्रयाग में जसोली लाटू देवता से मुनका–धनपुर मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	73.50	73.50
7	163	जनपद रुद्रप्रयाग में काडई–महल्ड–पिपली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	73.50	73.50
		योगः–		945.81	911.39

(रुपये नौ करोड़ ग्यारह लाख उनतालीस हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।